

प्रेषक,

राधा रतूडी,  
प्रमुख सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त (वे0आ0-सा0नि0) अनुभाग-7

देहरादून: दिनांक 06 अक्टूबर, 2017

**विषय:** राज्य सरकार के कार्मिकों, स्थानीय निकायों, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों, राजकीय विश्वविद्यालयों तथा प्राविधिक शिक्षण संस्थानों के कार्मिकों, जिन्हें सातवें पुनरीक्षित वेतनमान अनुमन्य किया गया है, को अनुमन्य मंहगाई भत्ते की दरों का पुनर्निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या-1/9/2017-ई.11(बी) दिनांक 20 सितम्बर, 2017 एवं वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-78/XXVII(7)/02/2016 दिनांक 17 मई, 2017 के क्रम में राज्य सरकार के ऐसे सरकारी सेवकों को, जिन्हें सातवां पुनरीक्षित वेतनमान अनुमन्य है तथा जिन्हें दिनांक 01 जनवरी, 2017 से 4% मंहगाई भत्ता अनुमन्य है, को उक्त के स्थान पर दिनांक 01 जुलाई, 2017 से उन्हें अनुमन्य मूल वेतन के 5% की दर से मंहगाई भत्ता अनुमन्य किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. संशोधित वेतन संरचना में "मूल वेतन" शब्द का अभिप्राय सरकार द्वारा स्वीकृत सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार वेतन मैट्रिक्स में निर्धारित लेवल में आहरित वेतन से है किन्तु इसमें विशेष वेतन आदि जैसा अन्य प्रकार का कोई वेतन शामिल नहीं है।

3. यह मंहगाई भत्ता परिलब्धियों का एक भिन्न कारक बना रहेगा और इसे वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 2 भाग 2 से 4 के मूल नियम 9(21)के तहत वेतन नहीं माना जाएगा।

4. शासनादेश संख्या-1-1599/दस-42(M)97 दिनांक 23 नवम्बर, 1998 के प्रस्तर-5 एवं 07 में उल्लिखित शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत् लागू होंगे।

5. उक्त कर्मियों को पुनरीक्षित मंहगाई भत्ता दिनांक 01 जुलाई, 2017 से 30 सितम्बर, 2017 तक (सेवानिवृत्त एवं 06 माह के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों को छोड़कर) की बढ़ी हुई धनराशि उनके भविष्य निधि खाते में जमा की जायेगी तथा 01 अक्टूबर, 2017 से नकद भुगतान किया जाएगा, परन्तु अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित कार्मिकों के अवशेष (एरियर) देयक में से 10 प्रतिशत पेंशन अंशदान तथा उतनी ही धनराशि नियोक्ता के अंश के साथ नई पेंशन योजना से सम्बन्धित खाते में जमा की जायेगी तथा शेष धनराशि नगद भुगतान की जायेगी।

6. उक्त वर्णित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन उक्तवत् स्वीकृत मंहगाई भत्ता अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को भी अनुमन्य होगा।

भवदीय,

(राधा रतूडी)  
प्रमुख सचिव।

संख्या- / 88 / XXVII(7)02 / 2016, तददिनांक ।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून ।
2. प्रमुख सचिव/सचिव, सार्वजनिक उद्यम विकास विभाग/शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन को इस आशय से प्रेषित कि निकाय/उपक्रम की वित्तीय स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए उपक्रम/निकाय के कार्मिकों को उक्तानुसार दरों पर महंगाई भत्ता अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में अपने स्तर से निर्णय लेने का कष्ट करें। इस सम्बन्ध में वित्त विभाग की सहमति की आवश्यकता नहीं होगी।
3. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून ।
4. सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड, देहरादून ।
5. मुख्य स्थानिक आयुक्त उत्तराखण्ड, नई दिल्ली ।
6. महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल ।
7. समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड ।
8. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड ।
9. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, 23 लक्ष्मी रोड़, डालनवाला, देहरादून ।
10. निदेशक, विभागीय लेखा, 23 लक्ष्मी रोड़, डालनवाला, देहरादून ।
11. वित्त अधिकारी/कुलसचिव, समस्त राजकीय विश्वविद्यालय, उत्तराखण्ड ।
12. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड ।
13. वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (वेतन अनुसंधान एकक), भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग), कमरा नं-261, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001 ।
14. क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, देहरादून ।
15. समस्त अध्यक्ष, जिला पंचायत, उत्तराखण्ड ।
16. वित्त आडिट प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून ।
17. निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून ।
18. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(अमित सिंह नेगी)  
सचिव ।

उत्तराखण्ड शासन  
वित्त (सा0नि0-वे0आ0)अनुभाग-7  
संख्या- / XXVII(7)02 / 2016  
देहरादून: दिनांक: 06 अक्टूबर, 2017

Government of Uttarakhand  
Finance (G.R-P.C.) Section-7  
No- /XXVII(7)02/2016  
Dehradun: Dated: 06 October, 2017

कार्यालय ज्ञाप

Office Memorandum

विषय: राज्य सरकार के 01 जनवरी, 2016 से पुनरीक्षित पेंशन प्राप्त करने वाले सिविल/पारिवारिक पेंशनरों को मंहगाई राहत की स्वीकृति।

Subject: Grant of Dearness Relief to State Government Civil/Family Pensioners which pension is revised from 01 January, 2016

उपर्युक्त विषय भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/9/2017-ई.॥(बी) दिनांक 20 सितम्बर, 2017 के क्रम में 04 प्रतिशत के स्थान पर पुनरीक्षित पेंशन पर दिनांक 01 जुलाई, 2017 से 05 प्रतिशत की दर से मंहगाई राहत अनुमन्य किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

The Undersigned is directed to say that the Governor is pleased to revise the Dearness Relief for Civil/Family pensioners w.e.f. 01-07-2017 @ 5% instead of 4% according with the Office Memorandum No. 1/9/2017-E.॥(B) Dated 20 September, 2017 of Ministry of finance, Government of India.

2. यह आदेश मा0 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रम आदि के सिविल/पारिवारिक पेंशनरों पर लागू नहीं होंगे, उनके सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों द्वारा अलग से आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित होगा।

2. These orders will not be applicable to the judges of High Court, Chairman and Members of Uttarakhand Public Service Commission, Civil/Family Pensioners of local bodies and Public Undertaking Corporation etc. in respect of whom separate orders will have to be issued by respective departments.

3. यह आदेश शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा विभाग के अधीन राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के ऐसे शैक्षिक एवं शिक्षणेतर पेंशनरों जिन्हें शासकीय पेंशनरों के समान पेंशन/ पारिवारिक पेंशन अनुमन्य है, पर भी लागू होंगे।

3. These order will also be applicable to such teaching and non-teaching pensioners of Institutions aided from State Govt. under the Education/Technical Education Department whose Pension/Family Pension is at par with the pensioners of the State Government.

4. शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-ए-1-252 /दस/10(3)-81, दिनांक 27 अप्रैल, 1982 में निर्गत आदेशानुसार पेंशन पर अतिरिक्त राहत आदि के भुगतान के लिये महालेखाकार के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है। अतः स्वीकृत मंहगाई राहत का भुगतान उक्त कार्यालय ज्ञाप के अधीन कर दिया जाय।

4. As per orders issued in Om No-A-1-252/X/10(3)-81, dated April 27, 1982 the Accountant General Authority is not necessary for payment of relief of pension and as such the payment, of dearness relief as admissible under, this O.M.

5. मंहगाई राहत स्वीकृत करने के सम्बन्ध में अन्य प्रतिबन्ध जो इस से पूर्व निर्गत शासनादेशों में निर्धारित थे, यथावत् लागू रहेंगे।

5. Others terms and conditions regarding of dearness relief laid down in earlier government orders shall remain applicable as usual.

(राधा रतूड़ी)  
प्रमुख सचिव।

(Radha Raturi)  
Principal Secretary.

Contd.....2

संख्या- / 89 / XXVII(7)02 / 2016, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. अपर मुख्य सचिव/सचिव, सार्वजनिक उद्यम विकास विभाग/शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन को इस आशय से प्रेषित कि निकाय/उपक्रम की वित्तीय स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए निकाय/उपक्रम के कार्मिकों को महंगाई भत्ता अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में स्वयं निर्णय ले सकते हैं तथा इस सम्बन्ध में वित्त विभाग की सहमति की आवश्यकता नहीं होगी।
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
5. महालेखाकार, ओबराय भवन, माजरा, देहरादून को सूचनार्थ एवं 50 अतिरिक्त प्रतियाँ इस आशय से प्रेषित कि राज्य के बाहर के लेखा प्राधिकारी को इस की प्रतियाँ उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
6. निदेशक, कोषागार पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. निदेशक, विभागीय लेखा, 23 लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
8. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी उत्तराखण्ड।
9. उप. निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया इस शासनादेश की 150 प्रतियाँ मुद्रित करा कर वित्त अनुभाग-7, उत्तराखण्ड शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
10. निदेशक, एन0आई0सी0, देहरादून।

आज्ञा से,  
(अमित सिंह नेगी)  
सचिव।

No / 89 / XXVII(7)02/2016, the dated

Copy forwarded to following for information and necessary action.

- 1- All Additional Chief Secretary/ Principal Secretaries/Secretaries, Govt. of Uttarakhand.
- 2- Additional Chief Secretary/Secretary, Public Industry Development Department /Urban Development, Govt. of Uttarakhand with the request that the admisibility of D.A. may be permitted itself in the view of financial status of the bodies/sector and there is no need of finance Department Consent.
- 3- All Commissioner/District Magistrate, Uttarakhand.
- 4- All Head of Department /Offices, Uttarakhand.
- 5- Accountant General Utrkhand, Oberoy Building, Majra, Dehradun along with 50 extra copies with the request that account officers of other states be also informed please.
- 6- Director, Treasury, Pension and Hukdari, Utatrakhand .
- 7- Director, Departmental Accounts, 23 Laxmi Road, Dalanwala, Dehradun Uttarakhand .
- 8- All Chief/Senior Treasury Officers/ Treasury Officers, Uttarakhand.
- 9- Deputy Director, Govt. Press, Roorkee with request that 150 copies of this G.O. be got printed and sent to the Finance Section-7, Govt. of Uttarakhand .
- 10- Director, NIC Dehradun.

By Order,  
(Amit Singh Negi)  
Secretary.